कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी गौतमबुद्धनगर

पत्रांक–मु.चि.अ./2019–20 दिनांक–27.03.2020

सेवा में

समस्त सरकारी/गैर सरकारी संस्थान
गौतमबुद्धनगर।

विषय– कार्यालय, चिकित्सालय एवं सार्वजनिक स्थानों पर पान मसाला की बिक्री एवं सेवन पर प्रतिबंध के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि कोविड–19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसकी रोक थाम हेतु समस्त /देश प्रदेश में दिनांक–25.03.2020 के लॉकडाउन घोषित किया गया है। पान मसाला एवं गुटखा खा कर थूकने तथा पान मसाले का पाउच छोटे होने के कारण उसको फाड़ कर सीधे मुख में लगाकर उपयोग करने पर भी कोविड–19 महामारी के संक्रमण फैलने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उ0 प्र0 सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्यालय चिकित्सालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर इसके विक्रय एवं सेवन को प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उक्त आदेश को पालनार्थ हेतु आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ0 प्र0 सैक्टर–सी अलीगंज लखनऊ द्वारा अपने आदेश पत्र संख्या एफ.एस.डी./खाद्य/1122 दिनांक–25.03.2020 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2003 की धारा–30 (2)क में आयुक्त खाद्य सुरक्षा को प्रदान किये गये अधिकारों की धारा–16 (2)/ का उल्लंघन होगा।

जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं ऐसे प्रतिष्ठान जो आदेश का उल्लंघन करते पाये जायेंगे। उनका लाइसेन्स/पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एवं मानक खाद्य कारोबार का लाईसेन्स/पंजीकरण विनियम 2011 के विनियम 2.1.8 (4) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किये जाने एवं प्रतिष्ठान बन्द कराये जाने की कार्यवाही होगी।

भवदीय

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. निदेशक, संचारी रोग एवं वी0बी0डी0 स्वास्थ्य उ0प्र0 लखनऊ।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
6. राज्य सर्विलांस आई0डी0एस0पी0 स्वास्थ्य उ0 प्र0 लखनऊ।
7. जिला अधिकारी गौतमबुद्धनगर
8. जिला पंचायत राज अधिकारी गौतमबुद्धनगर।
9. समस्त अधीक्षक, सामुदायिक/प्राथमिक/नगरीय स्वास्थ्य केन्द्र गौतमबुद्धनगर।
10. नोडल अधिकारी, राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ उ0 प्र0 लखनऊ।
11. नोडल अधिकारी, जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ गौतमबुद्धनगर।
12. एफ.एल.सी. एन0सी0डी0 सेल, गौतमबुद्धनगर।
13. समस्त संबंधित कार्यालय गौतमबुद्धनगर।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर